न्यायालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–20/2026

अजय सिंह एवं अन्य बनाम बिहार सरकार

जनदाहा थाना कांड सं0–187/2025

अधीन धारा–126(2), 115(2), 118(1), 303(2), 74, 329(3) 352, 351(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता।

29.04.2026

Web Copy not Official

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा एक आवेदन दाखिल कर निवेदित किया गया कि अनुसंधानकर्ता द्वारा आवेदकगण को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–35(3) का लाभ दिया गया है और उपरोक्त कांड में आवेदक के गिरफ्तारी की कोई आशंका नहीं है इसलिए आवेदकगण **अजय सिंह उम्र–45 वर्ष पेसर–स्व0 टेकनारायण सिंह, विनोद सिंह उम्र–50 वर्ष पेसर–स्व0 टेकनारायण सिंह, विनय सिंह उम्र–40 वर्ष पेसर–स्व0 टेकनारायण सिंह, विकास कुमार उम्र–25 वर्ष पेसर–विनोद सिंह, विवेक कुमार उम्र–20 वर्ष पेसर–विनय सिंह, जामेरी लाल साह उम्र–45 वर्ष पेसर–नन्दी साह एवं बबीता कुमारी उम्र–22 वर्ष पेसर–विनोद सिंह** के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन प्रचालित नहीं करना चाहते हैं उसे वापस लेने की अनुमति दी जाय।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों से विद्वान लोक अभियोजक सहमत है। उभय पक्षों के तर्कों एवं उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं0–20/2026 वापस लिये जाने के आधार पर **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।